

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर  
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :281/2021

वादीगण-

1. हनुमानराम पुत्र जेठाराम जाति जाट, निवासी-जानेवा पूर्व, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. बजरंगलाल पुत्र जेठाराम
2. शारदा पुत्री जेठाराम
3. जेठाराम पुत्र भूराराम  
जातियान-जाट निवासीगण-जानेवा पूर्व, तहसील-जायल।
4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 28/12/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बड़ेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जानेवा पूर्व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 4.5757 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्बत् 2065 में वाद के पैरा संख्या 2 के (क से ग) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व में खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से रकबा 3.2779 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 4 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 3.7879 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 1.29500 हैक्टेयर 1/2 दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 बजरंगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व में खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से रकबा 2.9542 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरीनकशानुसार व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 4 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 3.7878 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 1.29500 हैक्टेयर 1/2 उत्तरी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 शारदा व जेठाराम के


28/12/2021  
सहायक कलेक्टर  
(स.डी.ओ.) जायल

संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खंसरा नंबर 67 रकबा 5.3257 हैक्टयर सम्पूर्ण सहखातेदारी में रखा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सीव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 06.12.2021 को जरिये अधिवक्ता एवं स्वयं उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत जालनियासर में राजीनामा एवं ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं से राजपैरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होंने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह हनुमानराम पुत्र जेठाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम जानेवा पूर्व तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 68 प्रदर्श-1, ग्राम नोसरिया तहसील जायल के खाता संख्या 47 प्रदर्श-2, ग्राम नोसरिया तहसील जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 48 प्रदर्श-3 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब व राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा ईकबाली जबाब दिनांक 06.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल


पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। प्रत्येक खातेदार काशतकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा नजरीनकशानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब दिनांक 06.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काशत होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा जानेवा पूर्व एवं नोसरिया के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नंबर 67 की सम्पूर्ण की संयुक्त खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 शारदा एवं प्रतिवादी संख्या 3 जेठाराम के हक बंट में चाही है तथा मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नंबर 62 व 67 तथा मौजा नोसरिया के खेत खसरा नंबर 1/2 की खातेदारी माफिक वाद पत्र में संलग्न नजरीनकशानुसार एवं राजीनामा तथा ईकबाजी जबाब के जरिये चाही है। अतः मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, तथा मौजा नोसरिया के खेत खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 4 रकबा 4.5757 हैक्टेयर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 जेठाराम पुत्र भूराराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, तथा मौजा नोसरिया के खेत खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 4 रकबा 4.5757 हैक्टेयर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 जेठाराम पुत्र भूराराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी हनुमानराम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा जानेवा पूर्व में खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से रकबा 3.2779 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 4 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 3.7879 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 1.29500 हैक्टेयर 1/2 दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।

  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

- हनुमानराम बनाम् जेठाराम वगैरह  
मौजा जानेवा पूर्व में
2. प्रतिवादी संख्या 1 बजरगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व में खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से रकबा 2.9542 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरीनक्शानुसार व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 4 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 3.7878 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 1.29500 हैक्टेयर 1/2 उत्तरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
  3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 शारदा व जेठाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 67 रकबा 5.3257 हैक्टेयर सम्पूर्ण सहखातेदारी में रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



28/12/2021  
(रवीन्द्र कुमार) सहायक न्यायाधीश  
उपखण्ड अधिकारी, जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्बदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :281/2021

वादीगण-

1. हनुमानराम पुत्र जेठाराम जाति जाट, निवासी-जानेवा पूर्व, तहसील जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. बजरंगलाल पुत्र जेठाराम
2. शारदा पुत्री जेठाराम
3. जेठाराम पुत्र भूराराम  
जातियान-जाट निवासीगण-जानेवा पूर्व, तहसील-जायल
4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि- यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर, खसरा नंबर 67 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, तथा मौजा नोसरिया के खेत खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 4 रकबा 4.5757 हैक्टेयर की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 जेठाराम पुत्र भूराराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी हनुमानराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व में खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से रकबा 3.2779 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 4 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 3.7879 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 1.29500 हैक्टेयर 1/2 दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।

28/1/2021  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

- हनुमानराम वनाम् जेठाराम वगैरह
2. प्रतिवादी संख्या 1 बजरगलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व में खेत खसरा नंबर 62 रकबा 6.2321 हैक्टेयर में से रकबा 2.9542 हैक्टेयर उत्तरी भाग नजरीनकशानुसार व मौजा नोसरिया का खेत खसरा नंबर 4 रकबा 7.5757 हैक्टेयर में से 3.7878 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 1/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर में से 1.29500 हैक्टेयर 1/2 उत्तरी भाग नजरीनकशानुसार रखा गया है।
  3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 शारदा व जेठाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 67 रकबा 5.3257 हैक्टेयर सम्पूर्ण सहखातेदारी में रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/12/2021  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड) अधिकारी  
जायल (नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -  
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे  
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुकमनामा			बाबत् हुराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

28/12/2021  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड) अधिकारी  
जायल (नागौर)